

क्रमांक: डी0बी0/एस0एल0एन0/पंचायत समिति/2022-23 - 9525-61
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन जिला सोलन (हि0प्र0)

प्रेषित,

समस्त पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत विकास खण्ड सोलन
जिला सोलन (हि0प्र0) 173211

दिनांक: सोलन-173211

22, मार्च, 2023

विषय: दिनांक 31.08.2022 तक लगातार 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी बनाये जाने बारे ।

महोदय/महोदया,

विषय उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रधान सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: पी0सी0एच0-एच0बी0(15)2/99-पं0चौकी0मांगे-60959-64723 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 की अनुपालना में सम्बन्धित पंचायत चौकीदारों जिनका सेवा काल दिनांक 31.08.2022 को 12 वर्ष का हो चुका है का पारिश्रमिक माह दिसम्बर, 2022 से फरवरी, 2022 तक का दैनिकी की दर से तैयार कर एवं 1 सितम्बर, 2022 से नवम्बर, 2022 तक का ऐरियर की अदायगी भी आपके पंचायत खातों में आर0टी0जी0एस0 द्वारा कर दी गयी है।

क्योंकि पंचायत चौकीदारों के सन्दर्भ में ही पत्र क्रमांक: पी0सी0एच0-एच0बी0-(15)2/2002-11-पं0चौ0-कांगडा-74854 दिनांक 01 सितम्बर, 2022 के सन्दर्भ में लिखा गया है कि "ग्राम पंचायतों में कार्यरत जिन अंशकालिक पंचायत चौकीदारों द्वारा दिनांक 31.08.2022 तक निरन्तर 12 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किया जा चुका है को सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाए जाने सम्बन्धी आदेश जारी करने के उपरान्त उन द्वारा अपनी उपस्थिति देने की तिथि से उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का देय मु0 350/-रुपये प्रतिदिन की दर से मासिक वेतन की अदायगी देय होगी"

अतः आप कृपया पंचायत चौकीदारों को नई दरों से भुगतान करते समय उक्त आदेशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही वेतन आहरण करें तथा अपनी-अपनी पंचायत से सम्बन्धित 12 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने वाले चौकीदारों की उपस्थिति का दिनांक भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सूचित करें ।

भवदीय



खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन जिला सोलन (हि0प्र0)
दिनांक: 22-3-2023

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त 9562

प्रतिलिपि:

1 अतिरिक्त निर्देशक पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।



खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन जिला सोलन (हि0प्र0)